## : कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

## || ज्ञापन ||

क्रमांक–............/2020 उज्जैन, दिनांक–....../09/2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण
जिला उज्जैन (म0प्र0)

विषय– कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय में प्रवेश नहीं करने के संबंध में।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में न्यायालयों में सीमित कार्य संपादित किया जा रहा है । न्यायालयों में पदस्थ कोर्ट मुंशी द्वारा संबंधित आरक्षी केंद्र से प्रतिवेदन/चालान प्राप्त कर सीधे न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा रहे है जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक कोर्ट मुंशी तथा आरक्षी केंद्र से कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी न्यायालय में प्रवेश नहीं करेंगे तथा चालान/प्रतिवेदन इत्यादि प्रपत्र जिला न्यायालय, उज्जैन के मुख्य द्वार के समीप स्थित कक्ष की खिड़की पर प्रस्तुत करेंगे।

अत्यावश्यक परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी की विशेष अनुमति से कोर्ट मुंशी तथा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।

तद्नुसार आपके न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मुंशी एवं संबंधित आरक्षी केंद्र को सूचित करें।

Sd/-
( एन.पी.सिंह )
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक–5995/2020 उज्जैन, दिनांक–....../09/2020

प्रतिलिपि–

01. पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन की ओर जिला उज्जैन के समस्त आरक्षी केंद्र को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने हेतु प्रेषित ।

02. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)